



## जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | ROHTAS

शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र



सेवा मे

पत्रांक: ५९८/RTE/१५४७

दि २७/५/२०२२

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

फेन्ड्रीय मध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ०

शिक्षा केंद्र, २ कम्पूनिटी सेंटर ०

**विषय:-** बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीक्ति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 18-11-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय R.S.K. PUBLIC SCHOOL, BASTIPUR, DEHRI ON SONE, ROHTAS, 821305 . कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 24-05-2022 से 18-11-2024 अवधि के लिए ओपनिंग प्रस्तीक्ति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीक्ति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्तीक्ति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पड़ोस के कमज़ोर वर्ग एवं अताभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु पह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राधिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राधिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कड़िका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्कीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम पोष्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।


8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।


9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

- (I) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 202
- (II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 202
- (III) खेल के मैदान क क्षेत्र :- Class Room, Science Lab, Computer Lab, Library, Toilets, Playground
- (IV) वार्ग कक्षों की कुल संख्या :- 12
- (V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 10
- (VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अतग-अतग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 12 , Girls 10
- (VII) पेयजल की सुविधा :- 15
- (VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 1
- (IX) बाधारहित पहुँच, [ ] :-
- (X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/पुस्तकालय पुस्तकालय :- BOOKS, LAB EQUIPMENTS, SPORTS MATERIAL, COMPUTER ETC .  
INDOOR AND OUTDOOR GAMES EQUIPMENTS , ( Y , 989 , NewsPaper MagaZine:- 6 )

11. कोई भी अपस्थीकृत वाकिए विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा ।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्वाचित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संचालित होगा ।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।
15. लेखा का अकेक्षण एवं उसका प्रामाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आतोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या [ 234147320211118141900, 2021 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग" किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्तीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।
19. अनुलग्नक II के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

  
जिला कार्यक्रम प्राधिकारी, ROHTAS  
सह-सचिव प्रस्तीकृत समिति  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

  
DPO (SSA)  
Bihar SSA Project  
Rohtas (District)

## कार्यालयः जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास(सासाराम)

प्रा० एवं सर्व शिक्षा अभियान शहर

प्रेषक,

पन्नालू ७/.

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
प्रा० एवं सर्व शिक्षा अभियान  
बिहार शिक्षा परियोजना, रोहतास  
सासाराम।

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

R.S.K. के प्रिलक रूल,  
कर्सलीपुर, मानेडुपुर / इलरी

सासाराम, दिनांक 17.01.14

विषय:- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्त्रीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन -पत्र दिनांक ०५.११.११ और उसके कम में आपसे किये गए पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय R.S.K. (विद्यालय का नाम एवं पूरा फटा) के प्रिलक रूल, कर्सलीपुर, मानेडुपुर / इलरी कक्षा से ३ की तक संचालन हेतु तीन वर्षों से अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्त्रीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्त्रीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी:

- प्रस्त्रीकृति किसी की परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी;
- विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम नियमावली 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालक आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
- विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अविर्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
- डिका 3 में उद्दत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की

जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाइटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त विद्या जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्कीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे का नामांकन से उसके उप्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों पर किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:

I किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

ii किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। इस से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

iii किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

v अधिनियम ने प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

VI शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो, निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

VII शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

VIII शिक्षक निजी -स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण -गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा, निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम १८६० के द्वात मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखोगा। विद्यालय के अंतिम नियमों में सम उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निभवत।

विद्यालय परिसर का क्षेत्र है। (०५,०७ P.M.)

कुल निर्मित क्षेत्र,

खेल के मैदान का क्षेत्र

वर्गकक्षों की कुल संख्या

प्रधानाध्यापक - सह - कार्यालय - भालार कक्ष ०२ (०१,०१)

बालक तथा बालिकाओं के लिए अंलान - अलग शौचालय, (०३,०३)

पेयजल की सुविधा, ५०

मध्याहन भोजन के लिए रसोई - घर, - ५०

बाधारहित पहुँच, ५०

शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल - कूद उपकरण / पुस्तकालय, ५०

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय के भीतर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य सरंचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केपल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 के 21) के अन्तर्गत सोसाईटी के द्वारा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक

लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० एवं सर्व शिक्षा अभियान को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या.....<sup>RC/BIL/R04/2013-14 - 22</sup> है। इस कार्यालय से किसी प्रकार कर पत्राचार करने में इस कोड को कृप्या अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० एवं सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा समय-समय पर मॉग किए गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

*[Signature]*  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
10/10/2014

प्रा० एवं सर्व शिक्षा अभियान

बिहार शिक्षा परियोजना, रोहतास, सासाराम